न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2022-403RAAJodhpur2022-148RTA223 Arjunram ors Vs Birbalram etc

01. अर्जुनराम पुत्र भरमलराम
02. सोनाराम पुत्र भरमलराम
03. खींयाराम पुत्र भरमलराम
04. प्रकाश पुत्र भरमलराम
05. भगवानाराम पुत्र जीवराज
06. बचनाराम पुत्र जीवराज
07. पपुराम पुत्र जीवराज
08. भागीरथराम पुत्र जीवराज
09. हड़मानराम पुत्र जीवराज
10. शेतानाराम पुत्र जीवराज
11. मेगराज पुत्र कुशलाराम
12. श्रीराम पुत्र हीरा
13. लिछमण पुत्र हीरा

जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम सावरीज तहसील फलोदी. जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. बीरबलराम पुत्र खानुराम
2. जसोदा पत्नी जीवराज
3. सहीराम पुत्र जीवराज

   जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम सांवरीज, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
4. शाखा प्रबन्धक, थार आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा सावरीज।
5. शाखा प्रबन्धक, ओबीसी बैंक शाखा खींचन।
6. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा फलोदी।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 अगस्त 2020 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 180/2016 बीरबलराम बनाम रूगा इत्यादि

———————

उपस्थित–

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 07

शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 02 जून 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 180/2016 अनवान बिरबलराम बनाम रूगा इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 अगस्त 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 20 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम मय धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम सांवरीज तहसील फलोदी के खेत खसरा संख्या 243 रकबा 201.08 बीघा के संबंध में खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 अगस्त 2022 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण खसरा नंबर 244 की भूमि के रेकर्डेड खातेदार काष्तकार है तथा मौके पर काबिज काष्त है। खसरा नंबर 244 की भूमि का राजस्व नक्षे में दो जगह इन्द्राज है तथा दोनो जगह ही अपीलांट्स का ही कब्जा काष्त है। मौके पर खसरा नंबर 243 एवं 244 के मध्य माठ कायम है तथा उभय पक्ष अपने–अपने कब्जे काष्त एवं खातेदारी की भूमि पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की एकतरफा एवं मानमानी रिपोर्ट को आधार मानकर वादी के पक्ष में डिक्री जारी कर दी। तहसीलदार द्वारा उक्त रिपोर्ट प्रतिवादीगण को बिना सूचित किये तैयार की गई एवं स्वयं वादी की भूमि खसरा नंबर 243 का कोई नाप ही नहीं किया गया, बल्कि वादी के कहे अनुसार तथ्य रिपोर्ट में लिख दिये गये। इस तरह की रिपोर्ट के आधार पर वादी के पक्ष में कोई डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। अपीलार्थीगण खसरा न० 244 की राजस्व नक्शे में दर्शायी गई तमाम भूमि पर काबिज है एवं काश्त करते है। वादी का खसरा नं0 244 के किसी भी भाग पर कभी भी कोई कब्जा अथवा काश्त नही रहा है तथा आज दिन भी नही है। कब्जे के अभाव में वादी

का घोषणात्मक दावा चलने योग्य ही नहीं था। वर्तमान मामले में वादी के खाते में यदि नक्शे में वर्णित रकबे से ज्यादा भूमि दर्ज है तो जमाबन्दी को नक्शे के अनुरूप दुरूस्त किया जाना चाहिये था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को सुनवाई का अवसर तक नहीं दिया एवं मृत व्यक्तियों के विरूद्ध डिक्री पारित कर विपरीत आदेष पारित किया है। प्रतिवादी संख्या एक दो वर्ष पूर्व तथा प्रतिवादी संख्या दो चार वर्ष पूर्व फौत हो चुके है, जिनकी कोई नाम कायमी नही की गई। इतना ही नहीं जिन प्रतिवादीगण की ओर से वकील मुकरर्र किये हुए थे, उन्होने भी प्रतिवादीगण को बिना सुचित किये नो इस्ट्रंक्शन प्लीड कर दिया तथा इसके पश्चात न्यायालय द्वारा भी प्रतिवादीगण को सूचित नहीं किया जो दिया जाना लाजमी था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। सभी अपीलार्थीगण को वाद की सुनवाई का विधिवत कोई नोटिस नहीं मिला तथा जिन प्रतिवादीगण द्वारा पैरवी हेतु अधिवक्ता मुकरर्र किया गया, उन अधिवक्ता ने भी प्रतिवादीगण को बिना सुचित किये पैरवी करना बंद कर दिया तथा अदालत मातहत द्वारा भी इसके पश्चात प्रतिवादीगण को कोई नोटिस नहीं दिया एवं दावे में फैसला कर दिया गया जिसकी कोई जानकारी प्रतिवादीगण को नही हो सकी। वादी बिरबलराम ने अपीलार्थीगण के विरूद्ध उसकी भूमि बाबत एक वाद संख्या 34/2022 सहायक कलेक्टर फलोदी के न्यायालय में पेश किया, जिसकी सुनवाई का नोटिस दिनांक 27.07.2022 का अपीलार्थीगण को मिला व अपीलार्थीगण उक्त नोटिस लेकर फलोदी गये व अधिवक्ता से बात की तो उन्होने पत्रावली देखकर अपीलार्थीगण को बताया गया कि पूर्व में पेश किये गये दावे का फैसला उनके विरूद्ध हो चुका है, तब उसी दिन दिनांक 27.07.2022 को उस पत्रावली की सम्पूर्ण नकल मांगी जो नकल दिनांक 27.07.2022 को दे दी गई। तब अपीलार्थी को उसकी प्रथम जानकारी हुई इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की

जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 अगस्त 2020 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक की भूमि खसरा नंबर 243 जमाबंदी में रकबा 201.08 बिस्वा दर्ज है तथा मौके पर भी रेस्पोडेंट संख्या एक 201.08 बीघा भूमि पर काबिज काष्त है। रेस्पोडेंट संख्या एक के कथनों की पुष्टि तहसीलदार फलोदी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट से होती है। अपीलांट्स की भूमि खसरा नंबर 244 का जमाबंदी में रकबा 143.019 बीघा है तथा अपीलांट्स इतने रकबे पर ही मौके पर काबिज काष्त है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पो. पर सम्मनों की सम्यक रूप से तामील करवायी तथा वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा बाद में उनके अधिवक्ता द्वारा नो इंस्ट्रक्षन प्लीड कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना होकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील अत्यंत विलंब से पेष की है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रष्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या एक की भूमि खसरा नंबर 243(खसरा नंबर 243/1 सहित) का जमाबंदी में रकबा 201.08 बीघा दर्ज है तथा राजस्व नक्षे में उक्त खसरा का रकबा 150.15 बीघा ही दर्ज है। वही अपीलांट की भूमि खसरा नंबर 244 का जमाबंदी में रकबा 143.19 बीघा दर्ज है तथा राजस्व नक्षे में खसरा नंबर 244 की दो जगह तरमीम अंकित है तथा इन दोनो टुकड़ों का रकबा 149.11 बीघा एव 41.12 बीघा यानि 191.13 बीघा दर्ज है। वादी/रेस्पोडेंट

संख्या एक के इन कथनों की ताईद तहसीलदार फलोदी से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट से होती है। पटवारी हल्का सांवरीज द्वारा मौके पर पैमाईष किये जाने पर मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार **चित्र संख्या ए.बी.सी.डी. खसरा नंबर 244 का रकबा जमाबंदी अनुसार 143.19 बीघा दर्ज है।** नक्षा ए.बी.सी.डी. एवं ए.जी.एफ.जी. का रकबा 149.11 बीघा एवं 41.12 बीघा कुल रकबा 191.03 बीघा होता है। इसी प्रकार खसरा नंबर 243 का चित्र संख्या ए.बी.आई. एच.जी के अनुसार रकबा 150.15 बीघा होता है, जबकि जमाबंदी में खसरा नंबर 243 का रकबा 201.08 बीघा दर्ज है। **चित्र संख्या ए.बी.आई.एच.जी का क्षेत्रफल जमाबंदी अनुसार 201.08 बीघा होना चाहिए, लेकिन नक्षा अनुसार यह क्षेत्रफल 150.15 बीघा ही होता है।** यह उल्लेखनीय है कि राजस्व नक्षे में खसरा नंबर 244 की दो जगह तरमीम अंकित है। प्रदर्ष ए.एक्स–10 के अनुसार चित्र ए.बी.डी.सी.ई. के अनुसार खसरा नंबर 244 का रकबा जमाबंदी एवं नक्षे के अनुसार पूर्ण हो जाता है। राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से चित्र ए.ई. एफ.जी. के भाग खसरा नंबर 243 में सम्मिलित किये जाने के बजाय पुनः खसरा नंबर 244 पुनः अंकित किये गये है जो लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार फलोदी की रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 180/2016 अनवान बिरबलराम बनाम रूगा इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28 अगस्त 2020 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर